(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1834–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 11/अपील/2012–13.

.....

अजय तिवारी आ0 स्व0श्री ऋषिराम तिवारी,
निवासी हाईवे बेतूल रोड वार्ड नं.5
पुरानी इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–प्रदीप तिवारी आ0स्व0रामशंकर तिवारी
2–राजेश तिवारी आ0स्व0रामशंकर तिवारी
3–संजीव तिवारी आ0स्व0रामशंकर तिवारी
4–सचिन आ0स्व0सुदीप तिवारी
5–शिवानी पुत्री स्व0श्री सुदीप तिवारी
6–श्वाती पुत्री स्व0श्री सुदीप तिवारी
7–श्रीमती शकुन तिवारी विधवा सुदीप तिवारी
8–दीप्ति तिवारी पुत्री स्व0श्री दिलीप तिवारी
9–अभिनव तिवारी पुत्र स्व0श्री दिलीप तिवारी
10–श्रीमती कुमुद तिवारी विधवा दिलीप तिवारी
11–श्रीमती कमला तिवारी विधवा स्व0रामशंकर तिवारी
सभी निवासीगण बैतूल हाईवे रोड, पुरानी इटारसी
वार्ड नं.5 इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0पी0यादव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.5.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–11–2000 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18–9–2013 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 11/अपील/2012–13 दर्ज कर दिांक 12–5–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी समुचित आधार के 13 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 का जबाव प्रस्तुत किया गया, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को यह तथ्य मान्य करना चाहिये था कि अनावेदकगण सभी एक ही जगह निवास करते हैं और संबंधित मकान सभी के नाम दर्ज है, अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से रही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को व्यवहार न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के निर्देश देना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी अनावेदकगण को नहीं है, अतः

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण एवं आवेदक आपस में रिश्तेदार है एवं मृतक के वैध वारिस है । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा बिना सूचना दिये आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है इसलिये ऐसे अवैधानिक आदेश के विरूद्ध अपील में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण आदेश पारित करने में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब का सकारण दर्शाते हुये विलम्ब क्षमा किया गया है । वेसे भी जहॉ नामान्तरण आदेश पारित करने में गंभीर अनियमितता की गई हो वहॉ समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपील का निराकरण करना उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.5.2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर